

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामचन्द्र पिता गोकुल मीण निवासी जालमपुरा
बनाम

रामस्वरूप पिता खानाराम मीणा नि० जालमपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 465/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
|-------------|--|---|
| 28/05/2024 | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम जालमपुरा प.ह. रावतखेडा आराजीसं150,151,154,155/2,160,205,205/1,206/1,208,214,217,307,309,310,313,314,316/1,318/1,44 4,444/1,209,312,152,153,155/1161,206/2,207,211,212,213,306,308,311,315,316/2,318/2 कुल कित्ता 37 रकबा 10.6432 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी 9 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम जालमपुरा प.ह. रावतखेडा आराजीसं150,151,154,155/2,160,205,205/1,206/1,208,214,217,307,309,310,313,314,316/1,318/1,44 4,444/1,209,312,152,153,155/1161,206/2,207,211,212,213,306,308,311,315,316/2,318/2 कुल कित्ता 37 रकबा 10.6432 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा